Dated:- 09-06-2026

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : आदि देव
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–647/2026
(राम बिनोद राय बनाम राज्य सरकार)

==

1. राम बिनोद राय पे0 स्व0 जयकिशुन राय..आवेदक।

बनाम

1. बिहार सरकार..विपक्षी

==

आवेदक की ओर से : श्री श्याम लाल यादव, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर सेः श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

================================

<u>आदेश</u>

<u>09-06-2026</u> 1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **राम बिनोद राय** की ओर से महिला थाना काण्ड संख्या 83/2025 (विद्वान एस0डी0जे0एम0, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित) के अंतर्गत आरोपित अपराध धारा 74, 75, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए दाखिल किया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. सूचिका सोनी देवी के अनुसार घटना संक्षेप में यह है कि सूचिका दिनांक 26.06.2025 को अपनी ड्यूटी पर तैनात थी । राम बिनोद राय ने लाईब्रेरी में उसका बॉह पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। सूचिका किसी तरह चिल्लाकर अपनी जान बचाकर भागी। इस घटना की जानकारी सूचिका ने प्रिंसिपल महोदय को दी। प्रिंसिपल महोदय एवं मनीष सुपरवाईजर ने उसे बोला कि वह इसका निराकरण कर देगा। निराकरण नहीं होने पर प्रिंसिपल ए0 पी0 तिवारी एवं सुपरवाईज मनीष द्वारा सूचिका को धमकी दिया गया कि इस घटना की शिकायत किसी थाना या विभाग में करोगे तो तुमको ड्यूटी से हटा दुंगा और विशेष बोलोगी तो जान से मार कर फेंक दूंगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा इस केस में कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और ना ही कहीं लम्बित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस मामले में झूठा फॅसाया गया है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा बी0एन0एस0एस0 की धारा 482(2) के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसलिए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत करने का प्रार्थना किया गया।

6. अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा
पीठासीन पदाधिकारी : आदि देव
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–647/2026
(राम बिनोद राय बनाम राज्य सरकार)

कि आवेदक को बी0एन0एस0एस0 की धारा 35(3) का नोटिस दिया गया है। अन्वेषण पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। इसलिए साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नगण्य है। सूचिका के अलावा अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितिओं का अवलोकन करते हुए आवेदक **राम बिनोद राय पे0 स्व0 जयकिशुन राय** को बी0एन0एस0एस0 की धारा 482(2) के शर्तों के अधीन न्यायालय विद्वान एस0डी0जे0एम0, दरभंगा में इस आदेश के प्राप्त होने के **15 दिनों** के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में 10,000/– **(दस हजार)** रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे तथा विचारण के दौरान आवेदक प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे। यदि आवेदक बिना किसी उचित कारण के लगातार दो तिथियों तक अनुपस्थित रहते है तो विचारण न्यायालय द्वारा उनका बंधपत्र खारिज किया जायेगा।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

ह0/–
(आदि देव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम
दरभंगा।